राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-05066/ 170 दिनांक: 18 .06.2025

मॉडल शॉप्स (Model Shops) के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 के प्रावधानानुसार **मॉडल शॉप्स की** ऑनलाईन ई–नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई–बोली आमंत्रित की जाती है :–

क. सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	07-07-2025	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 20.06.2025 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/– अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. राज्य में शहरीय क्षेत्र जयपुर शहर में 05, जोधपुर में 02, उदयपुर में 02, माउन्ट आबू व आबूरोड एवं अन्य शहरों में एक–एक मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी।
5. मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा आबूरोड के लिये राशि रूपये 1 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रूपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित है।
6. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
7. ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रति मॉडल शॉप का आवेदन शुल्क रूपये 50,000/– निर्धारित है, जो की अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।
8. मॉडल शॉप्स का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
9. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
10. प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
11. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फी [illegible] ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसा[illegible] करानी होगी।
12. निर्धारित समय में वाँछित राशियाँ यथा–धरोहर राशि, [illegible] लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा रा[illegible] की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation: Commissioner
Date: 2025.06.18 19:16:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15933479

13. वर्ष 2025–26 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष क्रमशः 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।

14. बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29, समस्त दिशा–निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

15. मॉडल शॉप के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई–नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

16. ई–नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.18 19:16:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15933479